न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, अजमेर

(निर्णय बईजलास गजेन्द्र सिंह राठैड, आर0ए0एस0 अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,अजमेर)

अपील एल0आर0 एक्ट संख्या :–90/2017/भीलवाड़ा

श्री कन्हैयालाल पिता मोहनलाल कुम्हार निवासी रतनपुरा तहसील हमरीगढ़ जिला भीलवाड़ा।

................अपीलांट

बनाम

1.श्रीमती रूकमा पुत्री मांगू कुम्हार निवासी रतनपुरा तहसील हमीरगढ़ जिला भीलवाड़ा।

................रेस्पोडेण्ट

अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध निर्णय विद्वान जिला कलक्टर भीलवाड़ा दिनांक 13.06.2017 जो प्रकरण संख्या 81/2016 बउनवानी में पारित किया गया।

....

उपस्थित अभि0:–श्री भीयाराम चौधरी(अपीलांट अभि0)

श्री आकाश पारीक (राजकीय अभि0)

<u>निर्णय</u> दिनांकः–13.01.2023

संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम रतनपुरा तहसील हमीरगढ़ खाता संख्या 119 जमाबंदी संवत 2070–73 के खसरा नम्बर 242,243,244,245,246 कुल किता 5 कुल रकबा 4.18 बीघा भूमि मांगू पिता चुणिया कुम्हार निवासी रतनपुरा के नाम खातेदारी में दर्ज थी। दिनांक 13.05.2013 को अपंजिकृत वसीयत द्वारा मांगू पिता चुणिया द्वारा अपीलांट कन्हैयालाल पिता मोहनलाल के पक्ष में वसीयत करना बताया गया। दिनांक 17.08.2014 को मांगू की मृत्यु हो गयी। तहसीलदार हमीगढ़ द्वारा विरासती नामातंरण संख्या 445 दिनांक 21.09.2015 को निर्णित कर विवादित भूमियों में अपीलांट व रेस्पोडेंट का आधा–आधा हिस्सा दर्ज कर दिया गया। उक्त नामातंरण संख्या 445 निर्णय दिनांक 21.09.2015 से व्यथित होकर अपीलांट द्वारा अतिरिक्त न्यायालय भीलवाड़ा में अपील प्रस्तुत की। जिसको प्रकरण संख्या 81/2016 के रूप में दर्ज किया। बाद सुनवाई, अपने निर्णय दिनांक 13.06.2017 से अपीलांट की अपील खारिज करते हुए नामातंरण संख्या 445 निर्णय दिनांक 21.09.2015 को यथावत रखते हुए अपील खारिज कर दी गई। जिला कलक्टर के उक्त निर्णय दिनांक 13.06.2017 से व्यथित होकर वर्तमान अपील निम्न आधारो पर प्रस्तुत की है–

1. अपीलांट के पक्ष में मांगू द्वारा वसीयत करने से संपत्ति का एकमात्र मालिक अपीलांट भी है। मगर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा गलत निर्णय दिया गया।

2. तहसीलदार को सिर्फ यह देखना था कि भूमि पुश्तैनी है या खरिदशुदा है। वसीयत को नजरअंदाज कर आदेश पारित किया गया जो गलत था।

3. मांगू की मृत्यु दिनांक 17.08.2014 को हो चुकी है तथा उसकी मृत्यु के उपरांत अपीलांट खातेदार काश्तकार हेा गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा गलत निर्णय पारित किया गया। अपील स्वीकार की जायें और अपीलार्थी का निर्णय खारिज किया जाये।

अपील के साथ अपीलांट द्वारा स्थगन प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया। अपील न्यायालय के क्षेत्राधिकार मे होने से दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को नोटिस जारी किया गया। अधीनस्थ न्यायालय से रिकोर्ड तलब किया जाकर प्राप्त किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Gajendra Singh Rathore
Date: 2023.08.08 10:19:05 IST
Reason: SelfAttested

रेस्पाडेंट संख्या 1 रजिस्टर्ड ए0डी0 भिजवाने के बाद भी न्यायालय में अनुपस्थित रहे। बहस एकपक्षीय सुनी गई।

बहस में वकील अपीलांट ने बताया कि तहसीलदार द्वारा अपंजिकृत वसीयत के आधार पर नामातंरण नहीं खोलकर विरासत का नामातंरण खोला है। उक्त नामातंरण की अपील जिला कलक्टर द्वारा खारिज कर दी है। अपील स्वीकार की जायें। अतः प्रकरण पुनः रिमाण्ड की जायें।

बहस बिन्दुओ पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया गया। सर्वप्रथम अपील के मियाद में होने बाबत बिन्दु पर विचार किया गया। अपीलाधीन आदेश जिला कलक्टर भीलवाड़ा दिनांक 13.06.2017 का है तथा न्यायालय हाजा में उक्त अपील दिनांक 22.08.2017 को प्रस्तुत किया जाना पायी जाती है। अतः अपील को अंदर मियाद शुमार की जाती है।

अपीलांट द्वारा प्रस्तुत स्थगन प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र के अनुसार यदि अपीलाधीन निर्णय की पालना नही रोकी जाती है तो रेस्पोडेंट जमीन को खुर्द–बुर्द कर देगी। अपील निस्तारण तक रिकोर्ड और मौके की यथास्थिति प्रदान की जायें। इस पर सुनवाई करते हुए तत्समय पीठासीन अधिकारी द्वारा दिनांक 11.09.2017 को स्थगन प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया गया। पत्रावली के अवलोकन से यह पता चलता है कि अपीलांट द्वारा वसीयतनामें की बात कही तो गई है मगर पत्रावली पर ऐसा कोई वसीयतनामा उपलब्ध नहीं है। नामातंरण संख्या 445 ग्राम रतनपुरा निर्णय दिनांक 21.09.2015 में कही भी वसीयत का हवाला नहीं है। ना ही जिला कलक्टर भीलवाड़ा द्वारा अपने निर्णय में वसीयत के दस्तावेज के उपर कुछ रोशनी डाली है। वकील अपीलांट ने बहस के दौरान कहा कि तहसीलदार को विरासत का नामातंरण न खोलकर वसीयत दस्तावेज के आधार पर धारा 135(2) में कार्यवाही करनी चाहिए थी। उसे सिर्फ यही देखना चाहिए था कि जमीन पैतृक है अथवा स्वर्जित है। वसीयत जैसे जटिल प्रश्न का निर्धारण नामातंरण कार्यवाही के द्वारा नहीं किया जा सकता है। इस हेतु सक्षम न्यायालय में वाद दायर करके ही अनुतोष प्राप्त किया जाना होता है। इस बाबत कई न्यायिक दृष्टांत उपलब्ध है। रेस्पोडेंट रूकमा मांगू पिता चुनिया कुम्हार पुत्री है। इस बाबत किसी का कोई आक्षेप नहीं है। मांगू पुत्र चुनिया की मृत्यु दिनांक 17.08.2014 को हुई है। यह मृत्यु प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत मंगरोप द्वारा रजिस्ट्रेशन संख्या 32, रजिस्ट्रेशन दिनांक 22.08.2014 से जारी किया गया। अपीलांट का आक्षेप मात्र इस बात पर है कि रेस्पोडेंट संख्या 1 के पक्ष में विवादित भूमियों आधे हिस्से का नामातंरण क्यो खोला गया। नामातंरण संख्या 445 निर्णय दिनांक 21.09.2015 में कहीं यह नही लिखा गया है कि नामातंरण का आधार क्या माना गया था। मगर नामातंरण के अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त नामातंरण संयुक्त आधार पर खोला गया है। इसमें संभवतः वसीयत को भी माना गया है तथा विरासत को भी माना गया है। मगर वसीयतनामें के पत्रावली उपलब्ध नहीं होने से इस बाबत कोई टिप्पणी नहीं की जा रही है। मगर न्यायालय का यह मानना है कि हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम मे पुत्री प्रथम श्रेणी की वारिस मानी जाती है। अपीलांट द्वारा यह सिद्ध नहीं किया गया है कि भूमि पैतृक है या स्वर्जित है। ना ही उसके द्वारा कोई वसीयत बाबत दस्तावेज प्रस्तुत किया गया है। ऐसी स्थिति में अपीलांट की इस बात को नही माना जा सकता है कि वसीयतनामें के आधार पर वह विवादित भूमियों का [illegible] हकदार है। अपील मीमो में प्रथम पेज के आठवीं लाइन में वसीयत दिनांक 13.05.2[illegible] को करना बताया है। जबकि अधीनस्थ न्यायालय में अपील मीमौ के पैरा संख्या 2 की तीसरी लाईन में वसीयत दिनांक 13.05.2013 को किया जाना बताया है तथा ना ही कोई वसीयत पत्र प्रस्तुत किया गया। ऐसी स्थिति में वसीयत से संबंधित किसी भी बिन्दु पर विचार किया जाना संभव नहीं है। साथ ही अपीलांट द्वारा वसीयत किस दिनांक को की गई है, इस बारे में भी विरोधाभास है। समग्र विवेचन के

Signature Not Verified
Digitally signed by Gajendra Singh Rathore
Date: 2023.08.08 10:19:05 IST
Reason: SelfAttested

बाद न्यायालय का यह मानना है कि रेस्पोडेंट संख्या 1 मांगू पुत्र चुनिया की पुत्री होकर उसे नामातंरण संख्या 445 निर्णय दिनांक 21.09.2015 से ग्राम रतनपुरा की विवादित भूमियों में आधे हिस्से का खातेदार दर्ज किया गया है जो बिल्कुल उचित है। अपील अपीलांट खारिज योग्य है।

कियात्मक आदेश

अपील द्वारा अपीलांट खारिज की जाती है। अपीलाधीन निर्णय द्वारा जिला कलक्टर भीलवाड़ा प्रकरण संख्या 81/2016 विरूद्ध नामातंरण संख्या 445 निर्णय दिनांक 21.09.2015 द्वारा तहसीलदार हमीरगढ़ के विरूद्ध अपील में दिये गये निर्णय दिनांक 13.06.2017 को यथावत रखा जाता है।

यह आदेश आज दिनांक 13.01.2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(गजेन्द्र सिंह राठौड़)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
अजमेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Gajendra Singh Rathore
Date: 2023.08.08 10:19:05 IST
Reason: SelfAttested